

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-142/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मुकेश कुमार सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फुलवरिया, गोपालगंज का दिनांक-17.11.2023 से 16.11.2025 तक अध्ययन अवधि एवं दिनांक-17.11.2025 से 28.12.2025 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नांकित रूप में विनियमित किया जाता है :-

(i)	दिनांक-17.11.2023 से 16.11.2025 तक	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय पत्राक-2045(2), दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
(ii)	दिनांक-17.11.2025 से 27.11.2025 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि (मुख्यालय) के रूप में।
(iii)	दिनांक-28.11.2025 से 02.12.2025 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180 के तहत)
(iv)	दिनांक-03.12.2025 से 26.12.2025 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि (मुख्यालय) के रूप में।
(v)	दिनांक-27.12.2025 से 28.12.2025 तक	-	पदग्रहण काल के रूप में

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर०-142/2026- 2005 (2) पटना, दिनांक 14/8/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, पित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फुलवरिया, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/डा० मुकेश कुमार सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फुलवरिया, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

R